

## समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला योजना शाखा)

### आदेश

(6)

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक 10.11.2011 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का दिनांक 04.02.2012 को माननीय मंत्री—सह—अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजि जिलास्तरीय चयन समिति की बैठक में प्रखंडवार/नगरनिकायवार अनुमोदित योजनाओं का प्रावक्कलन तैयार कर कार्य अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज के द्वारा प्राक्कलित राशि पर तकनिकी स्वीकृति प्रदान की गई है एवं उनके पत्रांक 949 दिनांक 22.11.12 के द्वारा पर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्योभियंत्रण स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, गोपालगंज के द्वारा प्रदत तकनिकी स्वीकृति की राशि पर अंचल अधिकारी से जमीन सरकारी होने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रो सं०	नगर पंचायत	स्वीकृति योजनाओं का नाम	तकनिकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	बरौली	नगर पंचायत बरौली अंतर्गत भडकुइया श्री राम मंदिर मठ के नजदीक सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	1263800.00	1263800.00
कुल योग :-			1263800.00	1263800.00

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :— इन स्वीकृति योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा संमादित किया जायेगा।

#### कार्यान्वयन की शर्तें

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरुद्ध होने की स्थिति में सारी जबाबदेही आपकी होगी।
2. सरकारी के उप सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 981 दिनांक 17.05.05 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजनाओं को लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओं के प्रावक्कलन का पुररीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. विमुक्ति राशि का 60 प्रतिशत राशि व्यय होने के पश्चात् मापी पुस्तिका की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ विहित प्रपत्र में मांगपत्र कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय, ताकि द्वितीय किशत की राशि की विमुक्ति हेतु वांछित कार्रवाई की जा सके।
5. स्वीकृत प्रावक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना—कार्य सम्पादित किया जाय।
6. योजना के कार्य की गुणवता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जबाबदेही आपकी होगी।
7. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करें।
8. योजना स्थल पर स्वीकृत प्रावक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
9. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो विडियो/विडियो ग्राफी योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण—पत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसूजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
11. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
12. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अंचलाधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर

लें। यदि योजना स्थल में किसी की रैयती भूमि अवस्थित हो, तो भू-दाता के हारा उसे महामहिमा  
राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करें। अन्यथा किसी भी पकार  
अनियमितता की सारी जबाबदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।

13. प्रत्येक माह के 2<sup>nd</sup> तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना  
कार्यालय, गोपालगंज को भेजा जाए।

जिला योजना पदाधिकारी  
गोपालगंज

जापाक 659 / दिनांक 7-12-12

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को सुनिश्चित एवं  
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त आदेश से  
योजना का नियमानुसार कार्यान्वयन करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- कोकागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई टी० मनेजर एन० आई० सी० गोपालगंज को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड  
करना सूनिश्चित करें।

जिला योजना पदाधिकारी

गोपालगंज।

जापाक 659 / दिनांक 7-12-12

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गोपालगंज की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला योजना पदाधिकारी

गोपालगंज।

20/12/12